UPCD010034532025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 937/2025

राज्य **प्रति** **मो0 क़ासिम**

मु0अ0सं0– 22/2024,
धारा–363,366,376(2)(n),
376(3) भा.दं.सं. व 5l/6 व
3/4 (2) लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012,
थाना– बलुआ,
जनपद– चन्दौली।

आरोप

मैं, अनुराग शर्मा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), चन्दौली, आप अभियुक्त **मोहम्मद क़ासिम पुत्र मोहम्मद शब्बीर** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं:–

प्रथमः– यह कि दिनांक 01.03.2024 को समय 02:00 बजे दिन स्थान ग्राम– मथेला, थाना– बलुआ, जनपद– चन्दौली से आप अभियुक्त वादी मुकदमा सेराज की बिना जानकारी व बिना सहमति के उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसला कर उसका व्यपहरण किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की उपरोक्त अवयस्क पुत्री/पीड़िता को उससे विवाह करने एवं अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के लिए उसको व्यपहृत किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 366 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की उपरोक्त अवयस्क पुत्री/पीड़िता को व्यपहृत करके उसके साथ बार–बार बलात्कार किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 376 (2) (n) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by ANURAG SHARMA
Date: 2025.11.19 15:30:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनाँक, समय व स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की उपरोक्त 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को व्यपहृत करके उसके साथ बलात्कार किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की उपरोक्त अवयस्क पुत्री/पीड़िता को व्यपहृत करके उस पर बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करके उसके साथ बार–बार बलात्कार किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 5l/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ट्मः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय और स्थान से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की उपरोक्त 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को व्यपहृत करके उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करके उसके साथ बलात्कार किया। आप अभियुक्त का यह कृत्य धारा 3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अंतर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अनुराग शर्मा),
दिनांकः 19.11.2025 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम),
चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग किया।

(अनुराग शर्मा),
दिनांकः 19.11.2025 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम),
चन्दौली।